न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष आशीष श्रीवास्तव,

सदस्य,

यह प्र क्र अपील/१३०८/दो/१५ रा मं. में अपर आयुक्त, रीवा के प्र क्र ३८५/अपील/१४-१५ में पारित आदेश दि २७-३-१५ के विरुद्ध संस्थित है

१ रघुवंश प्रताप सिंह तनय श्री गिरिवर सिंह

२ रामसुफल तनय महावीर,

३ रामशिरोमणि सिंह तनय गिरिवर सिंह मृतक द्वारा जरिए बैध उत्तराधिकारी--

अ- ब्रजेन्द्र सिंह

ब- उमेश सिंह

स- धमेन्द्र सिंह

द- सतेन्द्र सिंह

इ- आनन्द सिंह

समस्त पुत्रगण स्व0 श्री रामशिरोमणि सिंह

४ कामता सिंह तनय मोतीलाल सिंह

५ दानपाल सिंह तनय सज्जन सिंह

६ जनार्दन सिंह तनय सज्जन सिंह

७ मानिक सिंह तनय रणधीर सिंह

समस्त निवासी ग्राम उपरवार टोला मौहरिया तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

८ शिवकान्त तनय सुखनन्दन

९ सच्चि□दानन्द तनय सुखनन्दन

दोनों निवासी ग्राम उपरवार टोला भौठी तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

अपीलार्थीगण----

बनाम

१ श्यामविहारी मिश्रा पिता रामलखन मिश्रा
२ दिनेश प्रसाद मिश्रा पिता राममुनि मिश्रा
३ गया प्रसाद द्विवेदी पिता लालमणि द्विवेदी
४ मुन्नलाल पिता केशरी प्रसाद द्विवेदी
५ इन्द्रजीत विश्वकर्मा पिता बाबूलाल विश्वकर्मा
६ छोटवा कोल पिता चुनवा कोल
७ महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पिता बाबूलाल विश्वकर्मा
८ सत्यदेव पिता अनुसुइया प्रसाद द्विवेदी
९ महेन्द्र प्रसाद पिता क़ृष्ण प्रसाद ,द्विवेदी
१० खिरोधना साकेत पित मदन साकेत
११ मुकुन्द विहारी पिता इन्द्रपति मिश्र
१२ लक्ष्मीप्रसाद मिश्रा पिता देवमुनि मिश्र
१३ क़ृष्णबहाहदुर सिंह तनय गोपाल सिंह
समस्त निवासी ग्राम उपरवार तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0
१४ मध्य प्रदेश शासन

गैरअपीलार्थीगण------

श्री भूपेश राय दीक्षित, आवेदक अधिवक्ता,
श्री के0 के0 द्विवेदी, अनावेदक अधिवक्ता,

(आदेश दिनांक 05/04/2016 को पारित)

[१] यह प्र क्र अपील/१३०८/दो/१५ रा मं में अपर आयुक्त, रीवा के प्र क्र ३८५/अपील/१४-१५ में पारित आदेश दि २७-३-१५ के विरुद्ध संस्थित है.

[२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

अपीलार्थीपक्ष की भूमियों से प्रतिअपीलार्थीपक्ष ने रास्ता बनाए जाने हेतु भू-अर्जन की मांग की, जिसे पहले तो कलेक्टर रीवा ने अपने आदेश दि ९-५-१२ से अस्वीकृत किया, और बाद में जिसे कलेक्टर रीवा ने ही आदेश दि ४-३-१५ से स्वीकृत किया. कलेक्टर के आदेश दि ४-३-१५ के विरुद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील हुई, जिसे उन्होंने आक्षेपित आदेश से ख़ारिज कर दिया. इसके विरुद्ध रा मं में यह अपील दायर हुई.

[३] मैंने प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने.

अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि उन्ही भूमियों और उन्ही पक्षकारों के सम्बन्ध में पहले कलेक्टर की ओर से एक प्रकृति का आदेश हिने, और बाद में उन्ही भूमियों और पक्षकारों को लेकर विचार होने और पहले से विपरीत प्रकृति का आदेश होने से res-judicata की बाधा प्रकरण में आकृष्ट होती है. उनका यह भी तर्क था कि अपर आयुक्त ने क्षेत्राधिकार के बिंदु पर उनकी अपील निरस्त करके गलत किया है, और यदि उन्हें ऐसा करना ही था तो उन्हें प्रकरण ख़ारिज करने

की बजाए सक्षम न्यायालय में जाने के निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करना चाहिए था.

प्रतिअपीलार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क थे कि अलग भूमियाँ सम्मिलित होने और अलग पक्षकार होने की वजह से res-judicata की बाधा इस प्रकरण में नहीं थी.

प्रदत्त लिखित तर्कों का भी मैंने अध्ययन किया.

[४] तर्कों के प्रकाश में मैंने प्रकरण के अभिलेख का अध्ययन किया जिनमें निम्न प्रमुख दस्तावेज़ शामिल हैं जो मोटे तौर पर समयानुक्रम में नीचे लिखे गए हैं:

(१) रा मं द्वारा दि ७-१०-१५ से दि ४-२-१६ तक दिया गया स्थगन
(२) दि १८-१-१६ को राजस्व निरीक्षक द्वारा प्र क्र २/अ-१२/१५-१६ में किया गया सीमांकन का आदेश
(३) प्र क्र ३८५/अपील/१४-१५ में अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि २७-३-१५
(४) ग्राम पंचायत उपरवार द्वारा पत्र दि ३-४-१५ से कलेक्टर को प्रदत्त मुआवजा राशी का चेक
(५) रा नि द्वारा तहसीलदार को प्रेषित पत्र दि ७-७-१५ जिसमे उन्होंने लिखा है कि ४ लोगों ने मुआवज़े के चेक ले लिए हैं और ६ ने नहीं लिए हैं जिनमें अधिकांश निगराकार शामिल हैं
(६) कलेक्टर रीवा के प्र क्र ५८/अ-७४/मूल/१३-१४ में पारित आदेश दि ४-३-१५ जिससे उन्होंने विषयांकित रास्ते के लिए संहिता की धारा १३५ के अंतर्गत भूमि अर्जित किया जाना समीचीन माना है

(७) आयुक्त रीवा का प्र क्र २६/अंतरण/१२-१३ जीमे पारित आदेश दि १९-८-१३ से अपर कलेक्टर रीवा का प्र क्र ७२/बी-१२१/११-१२ कलेक्टर रीवा के न्यायालय में अंतरित हुआ

(८) प्र क्र ५७/बी-१२१/११-१२ में तहसीलदार त्योंथर का प्रतिवेदन दि २८-९-१२ जिसमें निगाराकारों की भूमियों से गुजरते हुए रास्ता निकालने का प्रस्ताव है, क्योंकि केवल इसीसे श.पू.मा.शाला उपरवार जुड़ सकने की सम्भावना और वैकल्पिक रास्ते में भी भू अर्जन की आवश्यकता उन्होंने पाई है. इस प्रतिवेदन को अनु अधि ने दि २३-१०-१२ को सहमत होते हुए अपर कलेक्टर की ओर उनके प्र क्र ७२/बी-१२१/११-१२ के सन्दर्भ से प्रेषित किया है.

(९) कलेक्टर रीवा के प्र क्र १३/अ-७४/मूल/११-१२ में पारित आदेश दि ९-५-१२ जिससे उन्होंने विषयांकित रास्ते हेतु भू अर्जन करना स्वीकार नहीं किया था

(१०) मान उच्च न्या. म प्र की रिट याचिका १२८९/२०१२ का आदेश दि २७-१-१२ जिसमें निगराकार पक्ष के पक्षकारों को भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर के समक्ष आपत्ति करने का अवसर उपलब्ध होने का लेख करते हुए, कलेक्टर को ऐसी आपत्ति आने पर अपने स्तर से जाँच कराकर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है

(११) भू अर्जन अधिनियम १८९४ के अंतर्गत विषयांकित रास्ते के लिए ०.२८८ हेतारे भूमि के अर्जन हेतु जारी अधिसूचना दि ३१-१०-२०११

(१२) मान उच्च न्या. म प्र की रिट याचिका ४३४०/२०११ का आदेश दि १६-३-११ जिससे उक्त याचिका इस लेख के साथ समाप्त की गई है कि कलेक्टर, राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दि १३-३-११ को विचार में रखते हुए भू अर्जन के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे

(१३) राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन दि १३-३-११ जिसमें वैकल्पिक रास्ते की सम्भावना का लेख है

(१४) भू अर्जन अधिनियम १८९४ के अंतर्गत विषयांकित रास्ते के लिए ०.०८८ हेतारे भूमि के अर्जन हेतु जारी अधिसूचना दि २७-१२-२०१०

(१५) समय समय के राजस्व अभिलेख, और प्रकरण से सम्बन्धित नस्तियों में विद्यमान अन्य दस्तावेज़

[६] प्रस्तुत तर्कों और अभिलेखों के प्रकाश में प्रकरण में मुख्य टीप एवं विचार के योग्य बिंदु इस प्रकार समक्ष आते हैं, जिनपर मैं अपनी विवेचना और निष्कर्ष भी साथ ही लिख रहा हूँ.

(१) क्या अपर आयुक्त को उनके न्या. के प्र क्र ३८५/अपील/१४-१५ के निराकरण का क्षेत्राधिकार उपलब्ध था या नहीं था? क्या अपर आयुक्त द्वारा उनके न्या. के प्र क्र ३८५/अपील/१४-१५ में सक्षम न्या. में आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश ना देते हुए उसे अग्राह्य कर ख़ारिज किया जाना गलत था?

अपर आयुक्त ने इस प्रकरण में अपने आक्षेपित आदेश में यह लिखा है कि कलेक्टर का आदेश दि ४-३-१५ जिसके विरुद्ध उनके समक्ष यह अपील प्रकरण प्रस्तुत हुआ, एक अंतिम स्वरूप का आदेश नहीं है, जिस आधार पर उन्होंने अपने न्यायालय का अपील प्रकरण ख़ारिज कर दिया.

संहिता की धारा १३५(१) के अनुसार कलेक्टर अर्जित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में ग्रामवासियों से प्रतिकर की राशी जमा किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा. ऐसा निक्षेप कर दिए जाने पर कलेक्टर विहित रीति में प्रकाशित आदेश द्वारा सम्बन्धित भूमियों का अर्जन कर सकेगा.

यहाँ यह स्पष्ट है कि कलेक्टर ने दि ४-३-१५ को धारा संहिता की १३५(१) में उल्लिखित ऐसी अपेक्षा ही की थी. प्रतिकर की राशी का चेक

कलेक्टर के पास दि ३-४-१५ को जमा हुआ. भू-अर्जन का आदेश इसके बाद ही होना था जो आदेश दि ४-३-१५ की कंडिका ५(iii) में कलेक्टर ने लिखा भी है, और जो अभि तक पारित नहीं हुआ है.

अतः मैं अपर आयुक्त के इस निष्कर्ष को कि कलेक्टर का आदेश दि ४-३-१५ अंतिम स्वरूप का आदेश नहीं था, विधि के प्रकाश में गलत नहीं पाता हूँ. इसी अनुक्रम में मैं उन्हें उसके निराकरण का क्षेत्राधिकार नहीं होने की विवेचना और निष्कर्ष को भी गलत नहीं पाता हूँ.

जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि उनके द्वारा इस प्रकरण में मैं सक्षम न्या. में आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश ना देते हुए प्रकरण को अग्राह्य कर ख़ारिज किया जाना क्या सही था, तो इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि क्षेत्राधिकार के अभाव में अपर आयुक्त आवेदकों को सक्षम न्यायालय में जाने की समझाइश देते हुए भी प्रकरण समाप्त कर सकते थे, किन्तु केवल इस कारण से कि उन्होंने ऐसा नहीं करके प्रकरण ख़ारिज कर दिया, उनके आदेश को निरस्त करने का पर्याप्त आधार नहीं उत्पन्न हो जाता है.

अतः मैं अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ.

(२) क्या कलेक्टर के पूर्व आदेश दि ९-५-१२ के विरुद्ध कोई अपील आदि नहीं हुए होने और उस तथा वर्तमान प्रकरण में common भूमियाँ और पक्षकार होने की वजह से, कलेक्टर का पश्चातवर्ती आदेश दि ४-३-१५ res-judicata के सिद्धांत से बाधित होता है?

मेरे विचार में यहाँ res judicata की बाधा नहीं आती, क्योंकि (१) दोनों प्रकरणों में अर्जित की जाने वाली भूमियों के ब्यौरों में भिन्नता है, और प्रथम आदेश दि ९-५-१२ के बाद तहसीलदार के प्रतिवेदन दि २८-९-१२ में

अर्जित की जाने वाली भूमियों को पहचाना गया है जिसके बाद आगे कार्यवाही हुई है, (२) प्रथम आदेश से सम्बन्धित प्रकरण में ग्राम के सरपंच और सचिव आवेदक थे, जबकि दूसरे में अन्य व्यक्ति आवेदक थे, और अनावेदकों में भी पूरी समानता नहीं थी, और (३) दोनों आदेश अलग अलग अधिनियमों में कार्यवाही से सम्बन्धित हैं, पहला भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू अर्जन की कार्यवाही से और दूसरा म प्र भू रा सं की धारा १३५ के अंतर्गत भू अर्जन की कार्यवाही से.

(३) उपरोक्त निष्कर्षों के अनुक्रम में कलेक्टर के आदेश दि ४-३-१५ की वैधानिकता और गुणदोष आदि की विवेचना के सवाल इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं.

संहिता की धारा १३५ की उपधारा १ में लिखे अनुसार यदि ग्रामवासियों के आवेदन पर या अन्यथा, कलेक्टर का, जाँच के पश्चात, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे ग्राम में समुदाय के उपयोग के लिए दस फीट से अनधिक चौड़ी सड़क की, बैलगाड़ी मार्ग या पथ की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए कोई भूमि अर्जित करना समीचीन है, तो वः उस ग्राम के निवासियों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकार की रकम विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर जमा करें, जो निक्षेप कर दिए जाने के बाद वह उस भूमि के अर्जन का आदेश पारित कर सकेगा.

उपधारा २ के अनुसार हित का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति १ वर्ष की कालावधि के भीतर अपने हित के सम्बन्ध में प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकेगा.

उपधारा ३ में प्रतिकर के निर्धारित या निर्धारण योग्य भूराजस्व के १५ गुना होने का लेख है.

इस धारा के सन्दर्भ में, कालूराम वि ग्रामवासी देवरान १९७९ रा नि ५१५ में यह निर्णित है कि इस धारा के अधीन सड़क के लिए भूमि अर्जित करने की शक्ति का प्रयोग तभी करना चाहिए जब कोई अन्य व्यवस्था ण की जा सकती हो, क्योंकि इससे अन्य कृषकों के भूमि के अधिकारों पर अघात पहुँचता है, और श्यामजीतसिंह वि पद्मधरसिंह १९६४ रा नि ४७ में यह निर्णित है कि जब ग्राम में दो दल हों तब केवल एक दल की मनःतुष्टि के लिए इस धारा का उपयोग इष्टकर नहीं माना जा सकता.

उपरोक्त से निम्न बिंदु स्पष्ट होते हैं:

(१) भूमि का अर्जन १० फीट चौड़ी सड़क, बैलगाड़ी मार्ग या पथ के लिए होना चाहिए.

इस प्रकरण में १० फीट रास्ते हेतु भू अर्जन किया जा रहा है.

(२) यह कार्यवाही कलेक्टर ग्रामवासियों के आवेदन पर, या अन्यथा, कर सकता है.

इस प्रकरण में संहिता की धारा १३५ में भू अर्जन के लिए ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों का आवेदन है.

(३) कलेक्टर को यह समाधान होना चाहिए कि उक्त प्रयोजन के लिए उक्त भूमि अर्जित करना समीचीन है. कलेक्टर पहले इस धारा की उपधारा ३ के अनुसार देय प्रतिकर के निक्षेप की अपेक्षा कर सकेगा. उक्त प्रतिकर का निक्षेप हो जाने के बाद कलेक्टर उक्त भूमि को अर्जित करने का आदेश पारित कर सकेगा. हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति अपने हित से सम्बन्धित प्रतिकर के लिए १ वर्ष तक में आवेदन कर सकेगा.

अर्थात यदि कलेक्टर को उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित किया जाना समीचीन होने के सम्बन्ध में समाधान है, उसने भूअर्जन हेतु प्रतिकर जमा किये जाने की अपेक्षा कर ली है, और प्रतिकर का निक्षेप हो चुका है, तो कलेक्टर के पास उक्त भूमि के भू-अर्जन का आदेश विहित रीति में पारित करने का अधिकार उपलब्ध है, वह फिर उस आदेश को तदनुसार पारित करने के लिए स्वतंत्र भी है और सक्षम भी, और हित का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में केवल अपने हित से सम्बन्धित 'प्रतिकर' के लिए ही आवेदन कर सकता है, वह ऐसी स्थिति में भूअर्जन किये या नहीं किये जाने को लेकर आपत्ति कलेक्टर या उसके अधीनस्थ स्तर पर नहीं कर सकता, वह केवल सक्षम वरिष्ठ स्तर पर विधि अनुसार अपील, निगरानी आदि का रास्ता अपना सकता है.

यहाँ यह भी विचारणीय बात है कि इस धारा के अधीन भू अर्जन की शक्ति का उपयोग अन्य व्यवस्था नहीं हो सकने की स्थिति में ही हो होना चाहिए, यदि ग्राम में दो दल हों तो एक दल की मनःतुष्टि के लिए इस धारा का उपयोग नहीं होना चाहिए, और विषयांकित भूमि का अर्जन समीचीन होने के सम्बन्ध में अपना समाधान करते समय कलेक्टर को ये बातें ध्यान में रखनी चाहियें और उन्हें प्रकरण की आवश्यकता के अनुसार निराकृत भी करना चाहिए.

वर्तमान प्रकरण में कलेक्टर के आदेश दि ४-३-१५ के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि उन्होंने अपने इस आदेश की कंडिका ४ में तहसीलदार के प्रतिवेदन का सन्दर्भ लेकर अपना

निष्कर्ष यह लिखते हुए निकाल लिया है कि (१) भूमिस्वामियों ने आपत्ति व्यक्त की है, (२) अर्जित की जाने वाली भूमियों का विवरण तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है, (३) अनु अधि द्वारा प्रारम्भिक जाँच कराई गई है, और (४) प्रचलित रास्ता, जिससे उनके न्यायालय के आवेदक और रा मं में गैर-निगराकार मुख्य मार्ग पहुँचते हैं, नक्शा ट्रेस पर लाल स्याही से दर्शा दिया गया है. अपने इस आदेश की कंडिका दो में कलेक्टर ने अनु अधि के प्रतिवेदन की दिनांक २३.०१.२०१२ लिख दी है.

मुझे यह स्पष्ट है कि कलेक्टर के उक्त आदेश दि ४-३-१५ के माध्यम से उनके द्वारा संहिता की धारा १३५ के अंतर्गत भूमि अर्जन करने हेतु प्रतिकर की अपेक्षा करने वाला यह निर्णय समुचित रूप से बोलते स्वरूप में नहीं लिया गया है. प्रतिकर के निक्षेप की अपेक्षा करने का निर्णय, कलेक्टर को स्पष्ट और पूर्णतः बोलते स्वरूप में, प्राप्त हुई आपत्तियां पूरी तरह निराकृत करते हुए और अपने निष्कर्ष के आधार स्व-स्पष्ट तरीके से अपने स्तर से अभिलिखित करते हुए ही, लेना और रिकॉर्ड करना चाहिए था. ऐसा इसलिए क्योंकि इसी स्तर पर प्रकरण में भूमि अर्जित करने या नहीं करने के सम्बन्ध में कलेक्टर अपना समाधान करते हैं और एक अंतरिम प्रकृति का प्रारम्भिक किन्तु महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, भले ही वे भू-अर्जन के सम्बन्ध में अंतिम आदेश प्रतिकर की राशी जमा होने से होने वाले वित्तीय प्रबंध हो जाने के बाद पारित कर रहे हों. इस प्रकरण में आदेश दि ४-३-१५ में कलेक्टर ने स्पष्टतः ऐसा

नहीं किया है. यह सही है कि तहसीलदार का प्रतिवेदन दि २८-९-१२ काफी विस्तृत और स्पष्ट है, जिसे अनु अधि ने यथावत कलेक्टर को प्रेषित कर दिया है. किन्तु कलेक्टर, जिनको भूमि का अर्जन समीचीन होने के सम्बन्ध में अपना समाधान करना था, ने अपने स्तर से ऐसा समाधान नहीं किया है. यहाँ तक कि उन्होंने अपने आदेश की उन कंडिकाओं ४ एवं ५ में जहाँ उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले हैं, में भी उक्त भूमियों का वह विवरण जिसपर वे स्वयं अंततः सहमत हों, तक अपने स्तर से नहीं लिखा है. इस आदेश में कहीं तहसीलदार के प्रतिवेदन की दिनांक नहीं लिखी है, और कंडिका २ के अंत में जो अनु अधि के प्रतिवेदन की दिनांक लिखी है वो २३.०१.२०१२ ना होकर २३.१०.२०१२ होनी चाहिए थी.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कलेक्टर ने उक्त निर्णय में इस बात पर अपने स्तर से बोलते हुए निष्कर्ष नहीं अभिलिखित किये हैं कि (क) उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती थी, (ख) यह ही रास्ता इन ही भूमियों पर से निकाला जाना क्यों आवश्यक एवं/ अथवा महत्वपूर्ण था, और (ग) यदि ग्राम में एक से अधिक दल होने की स्थिति थी, तो एक दल की मनःतुष्टि के लिए इस धारा का उपयोग तो इस प्रकरण में नहीं हो रहा था, ...जबकि इन या इनसे मिलते जुलते और सम्बन्धित बिन्दुओं पर ही आप्त्तिकर्ताओं (जो रा मं में निगराकार हैं) द्वारा आपत्तियां उठाई जा रहीं थीं. कलेक्टर ने इन बिन्दुओं का निराकरण स्वयं तो नहीं ही किया, उन्होंने

तहसीलदार की रिपोर्ट का सन्दर्भ लेते हुए उससे इन बिन्दुओं पर अपनी सहमति या असहमति अभिलिखित करने की आवश्यकता भी उनके आदेश दि ४-३-१५ में नहीं समझी.

[७] उपरोक्त समस्त कार्यवाही और विवेचना के प्रकाश में और आधार पर मैं यह पाता हूँ की (१) अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दि २७-३-१५ में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, और (२) इस आदेश की पूर्ववर्ती कंडिका [६](३)(३) के अंतिम तीन उप-पदों के प्रकाश में कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्र ५४/अ-७४/मूल/१३-१४ में पारित आदेश दि ४-३-१५ स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है.

अतः, मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश यथावत रखता हूँ.

साथ ही, चूँकि अपर आयुक्त का निर्णय उनके समक्ष प्रकरण अपील के रूप में प्रचलनयोग्य नहीं होने के आधार पर निर्णीत था, अतः, रा मं में इस प्रकरण को कलेक्टर के मूल आदेश दि ४-३-१५ (जो कि अंतिम स्वरूप का आदेश नहीं होने के कारण एक अपिलनीय आदेश नहीं था) के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं मानकर ख़ारिज कर देने की बजाए उसे निगरानी मानते हुए निराकृत करने का निर्णय मैं न्यायहित में ले रहा हूँ.

इसी के साथ इस प्रकरण को रा मं में निगरानी मानते हुए मैं कलेक्टर का उक्त आदेश दि ४-३-१५ एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ.

साथ ही मैं कलेक्टर रीवा को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्रकरण क्र ५४/अ-७४/मूल/१३-१४ पुनः खोलें और इस आदेश की पूर्ववर्ती कंडिका [६](३)(३) में (विशेषकर उसके अंतिम तीन उप-पदों में) मेरे द्वारा अभिलिखित किये जा चुके सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए और उनपर अपने स्तर से बोलते

स्वरूप में, अपने प्रत्येक निष्कर्ष के कारण और आधार स्पष्टतः अभिलिखित करते हुए, नए सिरे से अपने निष्कर्ष और निर्णय अभिलिखित करें, और ऐसा करते हुए वे यह अपने स्तर से यह पूरी तरह स्पष्ट करें कि इस प्रकरण में विषयांकित भूमियों को लेकर भूअर्जन हेतु प्रतिकर की राशी जमा क्यों कराई या नहीं कराई जानी चाहिए. कलेक्टर अपना ऐसा नया आदेश, उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम ३ माह के भीतर, आवश्यक रूप से पारित करना सुनिश्चित करें. ऐसा नया आदेश पारित होने तक प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही नहीं की जाए और यदि की गई हो तो प्रभावशून्य मानी जाए, और तदुपरांत कलेक्टर के ऐसे स्पष्ट और बोलते स्वरूप के आदेश के अनुक्रम में और उसके अनुसार ही इस प्रकरण में आगे की कार्यवाही की जाए.

प्रकरण कलेक्टर रीवा को निर्देशों के साथ एतद्द्वारा रा मं से निराकृत किया जाता है.

आदेश पारित.

पक्षकार और कलेक्टर रीवा सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

आशीष श्रीवास्तव

सदस्य